ADVOCATE
Reg. No. 3014/89 U.P.
Chamber No. 80

229

54
ANNEXURE-I

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

TREASURY GHAZIABAD
12 APR 2010

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 667070

न्यास पत्र (TRUST DEED)

न्यास का नाम – श्री सूर्यप्रताप सिंह मैमोरियल एजुकेशन व चैरिटेबिल ट्रस्ट

यह सार्वजनिक न्यास [ट्रस्ट] का अनुबन्ध पत्र आज दिनांक–23 / 04 / 2010 को श्री कुशल पाल सिंह पुत्र स्व0 श्री नेत्रपाल सिंह निवासी–प्लाट नं0–98, सै0–2 ए. वैशाली, गाजियाबाद उम्र–61 वर्ष द्वारा निष्पादित किया गया है।
समृधि श्री बैलोन माता जी की प्रेरणा से विद्या प्रचार–प्रसार स्वास्थ्य रामवर्द्धन तथा समाज से सम्बन्धित अन्य सेवाओं के लिए मैं कुशल पाल सिंह समाज के हित में निर्धन वर्ग की सेवा के भाव से एक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास का निर्माण कर रहा हूँ।
इस निमित्त में अपने पास से 1100 / –रुपये [एक हजार एक सौ रुपये मात्र] देकर न्यास का निर्माण करता हूँ।
इस पुनीत कार्य में मैं अपने सहित अभी निम्नलिखित समूह के व्यक्तियों को मनोनीत करता हूँ–

वास्ते श्री सूर्य प्रताप सिंह मैमोरियल
एजुकेशन व चैरिटेबिल ट्रस्ट

(अध्यक्ष) (सचिव)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AG 667071

1. श्रीमती कमला देवी पुत्री स्व0 श्री छत्रपाल सिंह निवासी–कमल कुंज, रेलवे रोड, बुलन्दशहर उम्र–69 वर्ष।
2. श्रीमती मीरा सिंह पुत्री स्व0 श्री सूर्यप्रताप सिंह निवासी–कमल कुंज, रेलवे रोड, बुलन्दशहर, उम्र–58 वर्ष।
3. श्री दिवाकर विक्रम सिंह पुत्र श्री कुशल पाल सिंह निवासी–कमल कुंज, रेलवे रोड, बुलन्दशहर, उम्र–26 वर्ष।

यही उपरोक्त ट्रस्टीगण प्रथम प्रन्यासी पंडल के सदस्य माने जायेंगे। अतः इस न्यास पत्र के माध्यम से सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास { ट्रस्ट } की घोषणा करता हूँ। इस न्यास की शर्तें व नियम निम्नलिखित हैं –

1. इस न्यास का नाम श्री सूर्यप्रताप सिंह मैमोरियल एजूकेशन व चैरिटेबिल ट्रस्ट रहेगा।
2. इस न्यास का पंजीकृत कार्यालय कमल कुंज, रेलवे रोड, बुलन्दशहर रहेगा। समस्त भारत वर्ष में न्यास के कार्यालय खोले जा सकते हैं।
3. ट्रस्ट के उद्देश्यों जो कि आगे दिये जा रहे हैं, कि पूर्ति हेतू एवं न्यास का कार्य चलाने के लिये निर्माणकर्ता श्री कुशल पाल सिंह ने 1100/– रूपये { एक हजार

वास्ते श्री सूर्य प्रताप सिंह मैमोरियल एजुकेशन व चैरिटेबिल ट्रस्ट

(अध्यक्ष) (सचिव)

56

एक सौ रूपये मात्र } की जो राशि दी है वह ट्रस्ट की सम्पत्ति समझी जायेगी जिसे किसी दशा में वापिस नहीं लिया जा सकेगा।

4. ट्रस्ट के निर्माणकर्ता श्री कुशल पाल सिंह इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी कहें जायेंगे तथा अपने पूरे जीवन काल में वह ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी ही रहेंगे। उनकी मृत्यु के पश्चात् मुख्य ट्रस्टी वह व्यक्ति होगा जिसे वह अपने जीवनकाल में मृत्यु से पूर्व घोषित कर देंगे। यदि उनके द्वारा ऐसी कोई घोषणा उनके जीवनकाल में नहीं होगी तो वह व्यक्ति मुख्य ट्रस्टी होगा जिस पर बाकी के ट्रस्टियों की आम राय होगी या बहुमत जिसके पक्ष में होगा। अन्य सभी ट्रस्टियों का चयन नियुक्ति से पांच वर्ष के लिए होगा। ट्रस्टियों की पुनः नियुक्ति मुख्य न्यासी ही करेगें। यदि मुख्य न्यासी पुनः नियुक्ति नहीं करता है तो वह व्यक्ति प्रन्यास मंडल से हारा माना जायेगा। उसके स्थान पर मुख्य न्यासी किसी भी अन्य व्यक्ति को जो ट्रस्टी बनने के योग्य होगा ट्रस्टी नियुक्त करेगा। प्रन्यास मंडल में किसी भी आकस्मिक रिक्त स्थान की पूर्ति मुख्य न्यासी द्वारा नियुक्ति से की जायेगी।

5. ट्रस्ट का कोष–उपरोक्त 1100/–रूपये { एक हजार एक सौ रूपये मात्र } के साथ अन्य सहयोगी राशियां दान, भेंट, ब्याज, किराया या अन्य किसी प्रकार की आय जो न्यास को समय–समय पर प्राप्त होगी। ट्रस्ट का कोष मानी जायेगी।

6. ट्रस्ट का उद्देश्य–प्रन्यासीगण सर्वसाधारण के धर्मार्थ हितों के लिये न्यास की सम्पत्ति व न्यास की आय का उपयोग करेंगे। न्यास द्वारा जो भी कार्य किये जायेंगे उनके सम्पादन में किसी विशेष धर्म, सम्प्रदाय, जाति, पथ, रंग आदि का कोई भेद नहीं किया जायेगा तथा किसी विशेष धर्म, सम्प्रदाय, जाति, पथ आदि के हित में कार्य नहीं किया जायेगा। समस्त कार्य सेवा भाव से किये जायेंगे। अतः न्यास का इस दृटिकोण से मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं : –

<u>मुख्य उद्देश्य : –</u>समाज में शिक्षा जिसमें तकनीकी, चिकित्सा, आर्ट, सामाजिक विज्ञान तथा रोजगार मूलक विभिन्न शिक्षा कोर्स समहित हैं तथा स्वास्थ्य जिसमें स्वास्थ संर्वद्धन से सम्बन्धित ऐलोपैथी, आर्युवेद, होम्योपैथी, युनानी, प्राकृतिक, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, योग रैकी आदि समहित हैं, के प्रचार–प्रसार हेतू सभी प्रकार के कार्य करना जिसमें शामिल हैं–स्कूल, कालिज, इन्स्टीटयूट, संस्थान, अस्पताल, मेडीकेयर सैंटर आदि खोलना व उन्हें चलाना, सैमीनार करना, कैम्प लगाना तथा उनको आर्थिक सहयोग देना आदि।

<u>न्यास के अन्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं : –</u>

क. पर्यावरण :– पर्यावरण से सम्बन्धित गोष्ठियाँ आयोजित करना, पेड़ लगाना

वास्ते श्री सूर्य प्रताप सिंह मैमोरियल
एजुकेशन व चैरिटेबिल ट्रस्ट

(अध्यक्ष) (सचिव)

वनस्पति उद्यान लगाना एवं लगाने के लिये प्रेरित करना।

ख. जल संचयन :– गिरते भू–जल को रोकने के लिये समाज में जागरूकता लाना। जल संचयन के प्रति समाज को सशक्त करना एवं सुविधायें प्रदान करना।

ग. शिक्षा :– समाज में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के विकास हेतू प्रयास करना विशेषकर प्रावैधिक एवं व्यवसायिक पाठयक्रमों के संचालन निमित्त विद्यालय, कोचिंग कक्षायें, तकनीकी शिक्षा केन्द्र, छात्रावासों का निर्माण करना। शिक्षा पर गोष्ठियां करना, निर्धन छात्रों को छात्रवृति प्रदान करना, कृषि तथा कृषि से संबन्धित कार्य करना, कोर्स चलाना, कालेज खोलना, स्वास्थ्य व चिकित्सा से सम्बन्धित कालिज खोलना, उन्हें चलाना, छात्रों की ट्रेनिंग के लिये अस्पताल खोलना, मेडीकेयर सेंटर आदि खोलना, गोष्ठियों करना, सैमीनार करना आदि आदि व उपरोक्त सभी से संबन्धित जरूरी जरूरी अन्य सभी कार्य करना।

घ. नारी सशक्तिकरण :–समाज में नारी सशक्तिकरण हेतू जागरूकता लाना जिसके लिये आवश्यक सभी कार्य करना।

च. रोजगार मूलक :–बेरोजगारी दूर करने के रोजगार मूलक योजनाओं का सम्पादन करना उन्हें चलाना व उनके प्रति जागरूकता लाना।

छ. संस्कार सम्वर्द्धन : – समाज में संस्कार सम्वर्द्धन के संस्कार शालाओं को खोलना व चलाना भारतीय परम्पराओं व परिवार परिष्करण के लिये यथासम्भव सभी कार्य करना।

ज. लोक संगीत संरक्षण – विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित लोग संगीत व गायन शैलियों के संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाना एवं लोग गायकों को प्रोत्साहन देने के लिए जरूरी उपाय करना।

झ. इन सभी उपरोक्त उद्देश्यों के सम्पादन व संचालन के निमित साप्ताहिक, मासिक व दैनिक पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन करना। इनके लिये डाक्यूमेंट्री चलचित्रों का निर्माण करना व उन्हें स्थान–स्थान पर दिखाया जाना, ड्रामा, नुक्कड़ नाटक तथा बैठकों के द्वारा प्रचार–प्रसार करना।

ण. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक व्यक्तियों, संस्थाओं को आर्थिक व नैतिक सहयोग देना, तथा लेना तथा ऐसी भागीदारिता जो उद्देश्य प्राप्ति में

VEDPAL SINGH KUSHWAHA
ADVOCATE
Reg. No. 3014/89 U.P.
Chamber No. 80,
... Ghaziabad
... 078

वास्ते श्री सूर्य प्रताप सिंह मैमोरियल
एजुकेशन व चैरिटेबिल ट्रस्ट

(अध्यक्ष) (सचिव)

58

[illegible] व देना तथा वह सभी कार्य करना जो न्यासी मंडल की [illegible] पूर्ति के लिये आवश्यक हो।

[illegible] **का प्रबन्ध संचालन** : – न्यास का प्रन्यासी मंडल न्यास के कोष एवं संचालन के लिये पूर्ण रूप से जिम्मेवार होगा। प्रन्यास मंडल की अधिकतम संख्या ग्यारह होगी व न्यूनतम संख्या तीन होगी। प्रन्यास मंडल में से 5 सदस्यीय कार्य समिति का गठन होगा।

कार्यसमिति का स्वरूप निम्नलिखित होगा : –

(1) मुख्य ट्रस्टी जिसे अध्यक्ष कहा जायेगा।
(2) उप मुख्य ट्रस्टी जिसे उपाध्यक्ष भी कहा जायेगा।
(3) प्रबन्धकीय ट्रस्ट्री जिसे सचिव कहा जायेगा।
(4) उप प्रबन्धकीय ट्रस्टी जिसे सहयोगी सचिव भी कहा जायेगा।
(5) विशेष सहयोगी ट्रस्टी जिसे कार्यसमिति सदस्य कहा जायेगा।

शेष सभी ट्रस्टी साधारण ट्रस्टी की हैसियत में होंगे। साधारण ट्रस्टियों को प्रन्यास मंडल की सभी बैठकों में भाग लेने का अधिकार होगा।

ण. कार्य समिति जिसका वर्णन उपरोक्त नियम संख्या 7 में है, का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

त. कार्य समिति के गठन का सर्वाधिकार मुख्य ट्रस्टी के पास सुरक्षित रहेगा। मुख्य ट्रस्टी चाहे तो चुनाव के द्वारा इसका गठन करेगा और वह चाहे तो नामित प्रक्रिया अन्तर्गत गठन करेगा। मुख्य ट्रस्टी द्वारा किसी भी प्रकार से गठित कार्यसमिति ही अन्तिम होगी, जिसे सभी ट्रस्टी मान्य करेंगे। कार्यसमिति न्यास एवं न्यास द्वारा संचालित संस्थानों के संचालन के लिए पूर्ण रूप से अधिकृत होगी।

थ. प्रथम नामित कार्य समिति के सदस्य निम्न रहेंगे–

1. अध्यक्ष–श्री कुशलपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री नेत्रपाल सिंह
2. उपाध्यक्ष–श्रीमती मीरा सिंह पुत्री स्व0 श्री सूर्यप्रताप सिंह
3. सचिव–श्री दिवाकर विक्रम सिंह पुत्र श्री कुशल पाल सिंह
4. सहयोगी सचिव–ईना सिंह पुत्री श्री कुशल पाल सिंह
5. विशेष सहयोग ट्रस्टी–ईला सिंह पुत्री श्री कुशल पाल सिंह

द. मुख्य ट्रस्टी के दायित्व एवं अधिकार –

1. न्यास एवं न्यास से सम्बन्धित संस्थानों को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिशा निर्देश तैयार करना एवं लागू करना।

वास्ते श्री सूर्य प्रताप सिंह मैमोरियल
एजुकेशन व चैरिटेबिल ट्रस्ट

(अध्यक्ष) (सचिव)

2. बैठकों की अध्यक्षता करना।
3. न्यास के दैनिक कार्यों के संचालन हेतु न्यास हित में निर्णय लेना एवं न्यास से सम्बन्धित संस्थानों अथवा न्यास द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रपत्र पर हस्ताक्षर करना।
4. न्यास के कार्यों हेतु शासन, प्रशासन एवं अन्य संस्थानों में न्यास का प्रतिनिधित्व करना।
5. न्यास के कार्यों के संचालन के लिए पूर्णकालिक एवं अंशकालिक व्यक्तियों को नियुक्त करना एवं उनका पारिश्रमिक, मानदेय आदि तय करना।
6. समितियों का गठन करना।
7. न्यास की बैठक बुलाने के लिए सचिव को निर्देशित करना।
8. बैंक में चैकों पर हस्ताक्षर करना।
9. न्यास को सुचारू रूप से चलाने के लिए अन्य सभी आवश्यक कार्य करना या करवाना।

उपमुख्य ट्रस्टी के अधिकार एवं दायित्व –

3. न्यास को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना।
4. मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करना।

प्रबन्धकीय ट्रस्टी के अधिकार व दायित्व : –

1. मुख्य ट्रस्टी के निर्देशानुसार समय–समय पर कार्य समिति एवं प्रन्यासी मंडल की बैठक बुलाना।
2. बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही रखना।
3. सभी प्रकार के रिकार्ड एवं दस्तावेज को सुरक्षा प्रदान करना।
4. न्यास के सभी हिसाब–किताब को विधिवत् रखे जाने की व्यवस्था करना।
5. सभी न्यायिक कार्यों में पैरवी करना या इस हेतू किसी को अधिकृत करना।
6. बैंकों से न्यास कार्य हेतू सम्पर्क रखना एवं धनराशि की व्यवस्था करना।
7. समय–समय पर कार्यसमिति तथा प्रन्यासी मंडल को वित्त से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराना।

उप प्रबन्धकीय ट्रस्टी के अधिकार एवं दायित्व : –

1. प्रबन्धकीय ट्रस्टी के कार्यों में सहयोग करना।
2. प्रबन्धकीय ट्रस्टी की अनुपस्थिति में मुख्य ट्रस्टी के आदेशानुसार बैठक बुलाना व उसकी सम्पूर्ण कार्यवाही रखना।

विशेष सहयोगी ट्रस्टी के अधिकार एवं दायित्व : –

3. समय–समय पर आहूत कार्यसमिति की बैठकों में उपस्थित रहना।
4. न्यास कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना सुझाव रखना

वास्ते श्री सूर्य प्रताप सिंह मैमोरियल
एजुकेशन व चैरिटेबिल ट्रस्ट

(अध्यक्ष) (सचिव)

5. मुख्य ट्रस्टी एवं प्रबन्धकीय ट्रस्टी द्वारा दिये गये कार्यों को पूर्ण करना आदि।
8. कार्यसमिति के कार्यकाल के मध्य से रिक्त स्थानों की पूर्ति मुख्य ट्रस्टी द्वारा प्रन्यासी मंडल में से किसी एक सदस्य को नामित करके की जायेगी।
9. किसी भी विवाद की दशा में मुख्य ट्रस्टी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
10. संस्था के उपरोक्त कार्यो को सुचारू रूप से चलाने तथा न्यास के समुचित

प्रबन्ध के लिए प्रन्यासी मंडल को निम्न अधिकार होंगे –

1. संस्था के धन का उपयोग संस्थान के समस्त उद्देश्यों अथवा किसी एक विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यय करने का अधिकार होगा। संस्थान के शेष अतिरिक्त धन का विनियोग आयकर कानून 1961 के अनुसार किया जायेगा।
2. संस्थान के लिए दान, भेंट में धन अथवा सम्पत्ति प्राप्त कर पूंजी के रूप में प्रयोग करना अथवा संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपयोग करना।
3. संस्थान की सम्पत्ति को किराये, लीज आदि पर देना। चल–अचल दर्शनीय–अदर्शनीय सम्पत्ति के सम्पूर्ण स्वामित्व के अधिकारों, उनसे प्राप्त लाभों तथा उनकी व्यवस्था का अधिकार होगा। संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यास की किसी भी सम्पत्ति को बेचना आदि।
4. संस्थान के कोष को मुख्य ट्रस्टी के निर्देशानुसार समय–समय पर विनियोग करना उनको निकालना, दूसरे स्थान पर विनियोग करना एवं विनियोग धन को वापिस प्राप्त करना आदि।
5. किसी भी प्रकार के विवाद में आवश्यकतानुसार निर्णय लेना एवं विवाद हल न होने पर या न्यास के समापन पर न्यास की सम्पत्ति को मुख्य ट्रस्टी के निर्देश से केवल समुद्देश्य वाली पंजीकृत संस्था को ही हस्तान्तरित करना।
6. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बैंक, संस्था, व्यक्ति, प्रन्यासीगण एवं कम्पनियों से ऋण प्राप्त करना एवं इस निमित्त संस्था की जमीन जायदाद को गिरवी, रहन रखना आदि।

11. कुछ अन्य नियम –

1. न्यास का धन किसी शहरी सहकारी बैंक / शैडयूल बैंक में रखा जायेगा। खाते के संचालन का अधिकार न्यास के मुख्य ट्रस्टी एवं मुख्य ट्रस्टी द्वारा नामित व्यक्ति को रहेगा। इनमें से किन्हीं एक के हस्ताक्षरों से धन निकाला जा सकेगा।
2. संस्था की सम्पत्ति का क्रय–विक्रय अथवा किसी भी प्रकार के प्रपत्र पर संस्था की ओर से मुख्य ट्रस्टी जिसे मनोनीत करेंगे, के हस्ताक्षर होंगे।
3. संस्था को हुई हानि के लिए कोई प्रन्यासी अथवा प्रन्यासी मंडल का पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से तब तक उत्तरदायी नहीं माना जायेगा जब तक यह सिद्ध नहीं

वास्ते श्री सूर्य प्रताप सिंह मैमोरियल
एजुकेशन व चैरिटेबिल ट्रस्ट

(अध्यक्ष) (सचिव)

...जानबूझकर संस्था को हानि पहुंचायी है।
... की परिभाषा के सन्दर्भ में उत्पन्न विवाद से न्यास के ... का निर्णय सभी को मान्य एवं अन्तिम होगा।
... के मनोनीत प्रन्यासी की स्थापना के पांच वर्ष बाद ही अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को प्रन्यासी मनोनीत करवा सकेंगे परन्तु ऐसे प्रस्तावित प्रन्यासी को प्रन्यासी मंडल में लेने का अन्तिम निर्णय मुख्य ट्रस्टी द्वारा किया जायेगा।

6. न्यास की समस्त सम्पत्ति और आय का उपयोग न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिऐ ही किया जायेगा। लाभांश के रूप में अथवा संस्थान की किसी भी प्रकार की सम्पत्ति के किसी भी अंश मात्र को भी प्रन्यासीगणों को न तो प्रदान और न ही स्थानातंरित किया जा सकेगा। आयकर अधिनियम और देश के कानून के अनुसार माने जाने वाले निहित स्वार्थो (Interestd Persons) वाले लोगों को भी यह नहीं हो सकेगा परन्तु संस्थान की उसके हितार्थ सेवा करने वाले कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों एवं प्रन्यासीगणों को सेवा कार्य के आधार पर वेतन, पारिश्रमिक आदि प्रदान करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा, इस वेतन, पारिश्रमिक का निर्णय किये गये कार्य तथा कार्य करने वाले की योग्यता के आधार पर मुख्य ट्रस्टी द्वारा किया जायेगा। प्रन्यासीगण द्वारा न्यास के उद्देश्यों की पूति हेतु दिये जाने वाले ऋण पर न्यास द्वारा ब्याज दिया जा सकेगा। मुख्य ट्रस्टी एवं अन्य प्रन्यासीगण प्रन्यास के उद्देश्यों का पूर्ति के लिए खर्च की गयी राशि को प्रन्यास से लेने के हकदार होंगे। साथ ही मुख्य ट्रस्टी व अन्य प्रन्यासी जो प्रन्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समय देंगे यथायोग्य प्रन्यास से मानदेय प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। इस सम्बन्ध में मुख्य ट्रस्टी का निर्णय अन्य सभी को मान्य होगा।

7. न्यास के संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन मुख्य ट्रस्टी की सहमति पर प्रन्यासी मंडल के दो/तीन बहुमत द्वारा ही किया जा सकेगा।

12. सदस्यता समाप्ति – निम्न कारणों से किसी भी प्रन्यासी की सदस्यता समाप्त की जायेगी –

1. त्याग–पत्र देने तथा उसके मुख्य ट्रस्टी द्वारा स्वीकृत होने पर अथवा मृत्यु होने पर ।
2. किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दावालिया घोषित होने पर अथवा किसी अनैतिक अपराध में दण्डित होने पर।
3. पागल घोषित होने पर।
4. न्यास के हितों के विपरीत कार्य करने पर मुख्य ट्रस्टी द्वारा।

कृते श्री सूर्य प्रताप सिंह मैमोरियल
एजुकेशन व चैरिटेबिल ट्रस्ट

(अध्यक्ष) (सचिव)

13. न्यास भंग होन पर –

मुख्य ट्रस्टी की सहमति से प्रन्यासी मंडल द्वारा तीन/चार प्रन्यासीगणों के निर्णय से न्यास को बंद किया जा सकेगा। न्यास भंग होन पर न्यास की समस्त देनदारियों का भुगतान करने के उपरान्त शेष धन तथा चल–अचल सम्पत्ति को किसी दूसरी अथवा अनेक समान उद्देश्य वाली संस्थाओं को प्रदान किया जायेगा। इसका निर्णय भी मुख्य ट्रस्टी द्वारा किया जायेगा जो सभी ट्रस्टियों को मान्य होगा। किसी भी दशा में संस्थान की सम्पत्ति को प्रन्यासी मंडल के सदस्यों में नहीं बांटा जा सकेगा।

14. बैठक –

क. प्रन्यासी मंडल की वर्ष में कम से कम दो बार बैठक अवश्य होगी।

ब. कार्यसमिति की वर्ष में कम से कम छः बार बैठक अवश्य होगी।

15 विशेष– ट्रस्ट और न्यास [संस्था] तथा ट्रस्टी और प्रन्यासी पर्यायवाची शब्द हैं ।

वास्ते श्री सूर्य प्रताप सिंह मैमोरियल एजुकेशन व चैरिटेबिल ट्रस्ट

(अध्यक्ष) (सचिव)

अतः इस अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर कर मैं श्री कुशल पाल सिंह इस प्रन्यास की घोषणा करता हूँ।

हस्ताक्षर संस्थापक.....

साक्षी नं0–1–संजय सिंह पुत्र स्व0 श्री नेत्रपाल सिंह नि0–फ्लैट नं0–एफ–4, प्लाट नं0–98, से0–2 ए, वैशाली, गाजियाबाद।

साक्षी नं0–2–अतुल भटनागर एडवोकेट चै0 नं0–80, तहसील कम्पाउण्ड, गाजियाबाद।

दिनांक–23/04/2010मसौदा–वेदपाल सिंह तहसील कम्पाउण्ड, गाजियाबाद।
टाईप किया–विरेन्द्र सिंह।

ATUL BHATNAGAR
ADVOCATE
Reg. No. 3014/89 U.P.
Chamber No. 80,
Tehsil Compound, Ghaziabad
+91-9810166078

वास्ते श्री सूर्य प्रताप सिंह मैमोरियल एजुकेशन व चैरिटेबिल ट्रस्ट

(अध्यक्ष)

(सचिव)

64

Government of India
(Ministry of Finance)
Office of the Commissioner of Income-tax,
C.G.O.Complex-1, Hapur Road,
Ghaziabad.

C.No. 57(22)/Regn.12A/CIT-GZB/2010-11/2259 Dated: 30.12.2010

To

Sri Surya Pratap Singh Memorial Education &
Charitable Trust, PLot No. 98, Sec-2A,
Vaishali, Ghaziabad

Sub: Registration Certificate U/s 12AA of the I.T. Act, 1961 –

Name & Address of the Trust/Society	Sri Surya Pratap Singh Memorial Education & Charitable Trust, PLot No. 98, Sec-2A, Vaishali, Ghaziabad

The Society / trust created vide Memorandum dated **23.04.2010** has applied for registration under Section 12AA of I.T. Act, 1961 in prescribed Form No. 10A on 14.06.2010 which is within the stipulated time limit. Therefore, as per the provisions of Section 12AA of the I.T. Act, 1961 registration is being granted to the institution with effect from **23.04.2010 i.e. from the date of creation of trust.**

Entry of the application is made in the register maintained in this office for the purpose at Sl. No. 22/2010-11.

(O.P.PAHADIA)
COMMISSIONER OF INCOME TAX
GHAZIABAD

Note: If the trust / society is income tax payee, please furnish the details along with PAN, Assessing Officer etc.

Even No. & Date:

The Addl. Commissioner of Income-tax, Range-2 Ghaziabad for information and necessary action.

(LEELA SHARMA)
Income-tax Officer (Tech.)
O/o Commissioner of Income-tax
Ghaziabad

वास्ते श्री सूर्य प्रताप सिंह मैमोरियल
एजुकेशन व चैरिटेबिल ट्रस्ट

(अध्यक्ष)

आज दिनांक **23/04/2010** को

बही सं. **4** जिल्द सं. **805**

पृष्ठ सं. **169** से **188** पर कमांक **229**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सर्जेन्द्र सिंह

उप निबन्धक (चतुर्थ)

गाजियाबाद

23/4/2010